जहाँ सघन बस्तियाँ पाई जाती है, वहीं पर्वतीय भागों में, पठारों भागों के ढालों पर या फिर वनाच्छादित प्रदेशों में विरल बस्तियाँ पाई जाती है।

यदि हम भारत के बस्तियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो पाएँगे कि प्राचीन काल में लोग आखेट या जंगली कन्दमूल तथा फलों पर निर्भर करते थे। वे गुफाओं या जंगलों में रहते थे। उनमें सामाजिक विकास का अभाव था जिसके कारण लोग इकट्टे नहीं रहते थे। सबों की अलग-अलग जिन्दगी थी परन्तु आर्यो के आगमन के उपरान्त सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होने लगा एवं सांस्कृतिक विकास-काल का प्रारम्भ हुआ। कृषि का उद्‌भव हुआ तथा लोग जंगलों से निकलकर कृषि क्षेत्रों में बसने लगे जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। नदियों के कछारी भाग कृषि और जल दोनों के लिए उपयुक्त थे, अत: बस्तियों का सर्वप्रथम उद्‌भव वहीं हुआ। धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप कृषि में विकास होता चला गया और बस्तियाँ भी बसती चली गयीं। आज देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ ग्रामीण बस्तियाँ नहीं मिलती। अनेक बस्तियाँ आज विकसित होते-होते नगरों में बदल गयी हैं।

देश के मैदानी भाग प्रारंभ से ही लोगों के आर्कषण का केन्द्र रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ सघन आबादी वाली बस्तियाँ पायी जाती हैं। ऐसे प्रदेश जहाँ सुविधाओं का अभाव है, विरल बस्तियाँ ही देखी जा सकती हैं जैसे-हिमालय या अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में अर्ध-सघन एवं एकाकि बस्तियाँ मिलती है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ ग्रामीण अधिवासों की प्रधानता है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 72.2 प्रतिशत जनसंख्या कुल 5,93,643 गांवों में निवास करती थी। किसी निश्चित भूखण्ड जिसे मौजा या टोला कहते हैं, के अन्तर्गत ग्रामीण आवासों के विशेष समूह को प्रकार कहा जाता है। इसे अधिवास में स्थित मकानों को संख्या तथा उनके बीच पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। वैसी बस्तियाँ को सघन बस्तियाँ कहते हैं जिनमें घरों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें 30-40 घरों वाले टोले से लेकर 100 से अधिक घरों वाले टोले होते हैं। सघन बस्तियों की विशेषता यह है कि घरों के छप्पर एक दूसरे से मिले होते हैं तथा घरों में पहुँचने के लिए संकीर्ण गली होती है जिसमें केवल पैदल ही चला जा सकता है। इसके विपरीत प्रकीर्ण बस्तियों ऐसी होती हैं जिसकी सीमा में अनेक मकान तो होते हैं, परन्तु मकानों के बीच की आपसी दूरी अधिक होती है। घरों में पहुँचने के लिए सड़कें एवं गलियाँ काफी चौड़ी होती हैं घरों की संख्या 4-5 से लेकर 10-15 तक हो सकती है।

देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण सघन बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है तथा प्रकीर्ण बस्तियाँ बहुत ही कम हैं। प्रकीर्ण बस्तियाँ वहीं पायी जाती हैं, जहाँ समतल भूमि का अभाव है, भूमि बहुत कटी-छँटी है, भूमि की ढाल अधिक है या फिर वैसे क्षेत्र जो वनाच्छादित है।

5.2 भारत में ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting of Rural Settlement in India)

हडसन (Hudson) महोदय के अनुसार "ग्रामीण अधिवास से आशय उस अधिवास से है जिसके निवासी अपने जीवन-यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश ग्रामीण अधिवासों के अधिकांश निवासी कृषि-कार्यो में संलग्न रहते हैं।"

इसमें सन्देह नहीं कि अधिकांश ग्रामीण अधिवासों में कृषि कार्य प्रमुख रूप से किये जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण अधिवास ऐसे भी हैं, जहाँ पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, वनोत्पाद संग्रह करना आदि जैसे प्राथमिक कार्यो पर निर्भर जनसंख्या भी मुख्य रूप से रहती है।

अत: यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अधिवास में वे समस्त अधिवास सम्मिलित हैं जिनकी अधि कांश जनसंख्या मूलत: प्राथमिक व्यवसायों (Primary occupation) में संलग्न रहती है।

इस पाठ में हम लोग भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रकार का अध्ययन करेंगे।

मानवीय बस्तियों के 'प्रकार' (Type) तो किसी बस्ती में मकानों की संख्या और मकानों के मध्य पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित होते हैं। जैसे-एकांकी, मकान, झोपड़ी, वासगृह, फार्म हाउस आदि।

ग्रामीण अधिवासों के दो प्रमुख प्रकार हैं:- प्रथम एकल या प्रविर्कीण (Isolated or Dispersed) ग्रामीण अधिवास जिस में अलग-अलग बसे हुए घर या कृषि गृह (Farm stead) अथवा वास गृह (Home stead) पाये जाते हैं, तथा दूसरे सामूहिक, न्यष्टित, गुच्छित, ठोस या सघन (Agglomerated, Nucleated, Clustered or Compact) जिसमें मकान पास सटे हुए पाए जाते हैं जिनकी कतारों के बीच टेढ़ी-मेढ़ी संकरी गलियाँ पायी जाती हैं। एकल और गुच्छित ग्रामीण अधिवासों के बीच बिखराव के स्तर के आधार पर अर्द्ध-सघन (Semi-compact), पुरवा युक्त (Hamleted) एवं अपखण्डित (Fragmented) प्रकारों का निर्धारण किया जाता है।

आइए हमलोग यह जानने का प्रयास करें कि ग्रामीण अधिवासों के दो मुख्य प्रकार प्रविर्कीण और गुच्छित अधिवास के निर्माण या उत्पति में कौन-कौन से भौगोलिक कारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है।

(1) जल की उपलब्धता **(Availability of Sater)**

(2) उच्चावचन **(Relief)**

(3) जलवायु **(Climate)**

(4) सुरक्षा **(Security)**

(5) भूमि की उत्पादकता **(Productivity of Land)**

(6) कृषि में सहकारिता **(Co-operativeness in Agriculture)**

(7) यातायात की सुविधाएँ **(Transport Facilities)** तथा

(8) सामाजिक आर्थिक बन्धन **(Social and Economic Boundations)**

5.2.1 जल की उपलब्धता (Availability of Water) :-

जिन क्षेत्रों में भूगार्भिक जल के साथ-साथ सतही जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतया सभी स्थानों पर पीने योग्य जल की आसानी से प्राप्ति कुँए, नलों अथवा टूयबवेलों के माध्यम से हो जाती है। अत: ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियाँ या अधिवास कुछ विशिष्ट बसावस्थलों पर न मिलकर बिखरे प्रतिरूप में मिलती हैं। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा के कम प्राप्त होने से भूगर्मिक जल व सतही जल का अभाव मिलता है अथवा कम उपलब्धता रहती है, उन प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास की उत्पति एवं विकास जलीय स्त्रोतों के निकट होता है। जैसे-भारत के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय भागों में ग्रामीण अधिवास जलाशयों के चारों ओर केन्द्रित मिलते हैं।

5.2.2 उच्चावचन (Relief) :-

अधिवासों के स्वरूप पर भूमि की प्रकृति का अभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। जिन प्रदेशों का धरातल समतल होता है, प्राय: सघन अधिवास (Compact) और जहाँ धरातल ऊबड़-खाबड़ होता है, वहाँ अधिवास बिखरे हुए मिलते हैं। इसके विपरीत सघन अधिवास उन क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ कृषि योग्य क्षेत्र समानान्तर मिलता है। दूसरे शब्दों में, पर्वतीय प्रदेश में एकांकी एवं बिखरी हुई बस्तियाँ या अधिवास और मैदानी क्षेत्रों में सघन या सामूहिक अधिवास पायी जाती है।

5.2.3 जलवायु (Climate) :-

जलवायु के दो तत्वों (वर्षा की मात्रा और सूर्य प्रकाश) का मानव अधिवास पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय की पर्वतीय घाटियों में दक्षिणी ढालों पर, जो सूर्य की ओर पड़ते हैं, मानव अधिवास एवं खेत दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तरी ढाल छायादार होने के कारण वनों तथा पशुचारण के लिए छोड़ दिये जाते हैं। अधिक वर्षो और बाढ़ के कारण भूमि दलदली हो जाती हैं। अत: वहाँ खेतों के पास मकान बनाने के कारण मकानों का झुण्ड नहीं वरन् बिखरे मकानों की बस्तियाँ ही मिलती है।

5.2.4 सुरक्षा (Security) :-

आक्रमणकारियों के भय ने मानव को सदैव ही सुरक्षित स्थानों की ओर आकर्षित करने में बड़ा सहयोग दिया है। जहाँ सुरक्षा का अभाव रहता है, मानवीय अधिवास अपने स्थानों से हट जाती हैं, वहाँ पर सामान्य अवस्थाओं में मनुष्य रहना पसन्द नहीं करते हैं। अरक्षित स्थानों पर बसने की अपेक्षा वे दुर्गम स्थानों को ढूँढ़ते हैं। जैसे :- उत्तरी भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी खैबर के दर्रे द्वारा बार-बार भारत पर आक्रमण करते रहे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात के असंख्य लोग हिमालय की घाटियों में तथा ऊँचे भागों में जा बसे थे। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूँ तथा नेपाल में इन्हीं लोगों द्वारा छोटी-छोटी बस्तियाँ सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गयी।

5.2.5 भूमि की उत्पादकता (Productivity of Land) :-

विश्व के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपलब्धता के साथ-साथ मिट्टी में पर्याप्त उर्वरता विद्यमान रहती है, उन क्षेत्रों की भूमि अधिक जनसंख्या के भरण-पोषण की क्षमता रखती हैं जिसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों के ग्रामीण अधिवास सघन रूप में मिलते है। भारत में गंगा-यमुना के मैदानी भाग तथा ब्रहापुत्र घाटी इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। दूसरी ओर कम उपजाऊ क्षेत्रों या अनुपजाऊ क्षेत्रों में ग्रामीण अधिवास विरल रूप में मिलते हैं।

5.2.6 कृषि में सहकारिता (Co-oprtativeness in Agricultiure) :-

भारत में जिन क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का प्रचलन रहा है, उन क्षेत्रों में जमींदारों ने मुख्यता सामूहिक ग्रामीण बस्तियों की स्थापना पर बल दिया ताकि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण आसानी से रह सके। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य परस्पर सहयोग से किये जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी सघन और बड़े गाँवों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। एक ही गाँव में कृषि के सहायक पेशे से सम्बन्धित व्यक्ति (जैसे- लोहार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, दर्जी, धोबी) भी सघन गाँवों में आवश्यक रूप से बसे हुए मिलते हैं।

5.2.7 यातायात की सुविधाएँ (Transportation Facilitces) :-

पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में रेलमार्ग, सड़क मार्ग एवं जल मार्गो की अधिक सुविधाएँ अर्थात

इन क्षेत्रों में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग आसानी से बना लिए जाते हैं। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में सघन अधिवास देखने को मिलता है।

5.2.8 सामाजिक आर्थिक बन्धन (Social and Economie Boundation) :-

किसी क्षेत्र के आर्थिक क्रिया-कलापों का उस क्षेत्र के मानवीय अधिवासों के प्रकारों तथा प्रतिरूपों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर सामाजिक रीति-रिवाजों तथा प्रचलित परम्पराओं से भी मानवीय अधिवास प्रभावित होते हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि कार्यो के अविकसित स्वरूप देखने को मिलते हैं अथवा प्राथमिक कार्यो पर निर्भर जनसंख्या की प्रधानता मिलती है, उन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियाँ प्राय: बिखरी हुई मिलती हैं। दूसरी ओर सघन कृषि क्षेत्रों तथा द्वितीयक व तृतीयक क्रिया-कलापों पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र की जनसंख्या सघन बस्तियों में निवास करती है। आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों के मकान प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों के आन्तरिक भागों में होते हैं, जबकि गरीब-पिछड़ी जातियों के मकान गाँव से बाहर हाते है।

5.3 भारत में अधिवासों के प्रकार (Types of Rural Settlements in India)

उपर्युक्त भौगोलिक कारकों से प्रभावित होकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में निम्नलिखित चार प्रकार की बस्तियाँ पायी जाती है:- (1) सघन अधिवास (compact Settlement) (2) अर्द्ध सघन अधिवास (Semi-compact Settlement) (3) पुखा युक्त अधिवास (Hamleted/Fragmented Settlement) तथा (4) प्रविर्कीण अधिवास (Dispersed/Isolated Settlement) ।

5.3.1 सघन बस्तियाँ (Compact Settlement) :-

सघन अधिवास साधारणत: समस्त भारत के प्रदेश में पाये जाते हैं। ये गाँवों के समूह आड़ी-तिरछी, सँकरी और घुमावदार गलियों द्वारा पृथक किये जाते हैं। इस अधिवास में अक्सर जाति-आधारित पुरवे मुख्य बस्ती से कुछ दूरी पर गाँव की राजस्व सीमा के भीतर पाए जाते हैं। कुल मिलाकर देश के उपजाऊ एवं जलोत्सारित मैदानी भागों में जहाँ कृषि में सामुदायिक श्रम की आवश्यकता थी, इस प्रकार के अधिवास के विकास को प्रोत्साहन मिला है। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में पश्चिम में पंजाब से पूरब में पश्चिम बंगाल तक के विस्तृत क्षेत्र में सघन अधिवासों की प्रधानता देखी जाती है। इसके अतिरिक्त इनका वितरण असम, त्रिपुरा, उड़ीसा के तटवर्ती भाग, छतीसगढ़ के महानदी घाटी क्षेत्र, दक्षिणी भारत के कावेरी, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी पाया जाता है। राजस्थान के मरूस्थल क्षेत्र में मरूद्धानों में भी सघन बस्तियाँ मिलती है, यद्यपि इनके बीच की आपसी दूरी बहुत अधिक होती है।

5.3.2 अर्द्ध-सघन अधिवास (Semi-Compaet Settlement) :-

अर्द्ध-सघन अधिवास प्रविकीर्ण और सघन अधिवासों के बीच की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इनमें गाँव के मूल केन्द्र (Nucleus) या संस्थिति पर बसे प्रमुख अधिवास के अतिरिक्त गाँव की सीमा के अन्तर्गत कुछ-कुछ दूरी पर एक या कई पुरवे (Hamlets) बसे होते हैं। देश के निचले गंगा-यमुना दो-आब के उत्तरी-पश्चिमी भाग, खादर (Khadar) के क्षेत्र तथा यमुना के विषम बीहड़ क्षेत्र में इस प्रकार के इर्द-गिर्द पुरवों के विकास की प्रवृति को प्रोत्साहन मध्यकालीन सामन्ती व्यवस्था के दौरान मिला। आज मुख्य गाँव में जनसंख्या वृद्धि, स्थानाभाव तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव आदि के कारण विकेन्द्रीकरण की प्रवृति को